



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

14 -अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

Shakti Bhawan

(CIN : U32201UP1999SGC024928)

संख्या: 368-गोपन-03/पाकालि/20-3-सा०गो०/2020

दिनांक: 10 फरवरी, 2020

प्रबन्ध निदेशक,

पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल,

वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा,

केस्को, कानपुर,

मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत),

अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग,

समस्त मुख्य अभियन्ता, स्तर-1/2,

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०

विषय:-अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में सन्तोषजनक सेवा अथवा सम्बन्धी प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रायः यह देखा जा रहा है कि कतिपय अधिकारियों/कर्मचारी जो अपने तैनाती स्थल से स्थानान्तरित हो जाते हैं, तदोपरान्त उनके अधिष्ठान सम्बन्धी मामलो यथा समयबद्ध वेतनमान/वित्तीय स्तरान्तरण एवं पदोन्नति आदि के सम्बन्ध में तैनाती स्थल पर रहते हुए सेवा अभिलेख यथा उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य अथवा की गयी अनियमितता, उनकी इंगित अवधि में सत्यनिष्ठा रोके जाने से सम्बन्धित प्रकरण तथा विविध अग्रिम की वसूली से सम्बन्धित प्रत्याप्ति लम्बित होने अथवा अन्यथा की स्थिति उनके अधिष्ठान सम्बन्धी प्रकरणों को निस्तारित किये जाते समय यदाकदा संज्ञानित नहीं हो पाती है। जिसके दृष्टिगत कार्मिकों के अधिष्ठान सम्बन्धी प्रकरणों के निस्तारणार्थ सक्षम अधिकारी से सन्तोषजनक सेवा अथवा अन्यथा सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है, जिसका प्रारूप निम्नवत है :-

संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी के द्वारा प्रदान किया जायेगा)

श्री.....पदनाम.....अभिज्ञानसंख्या/वरिष्ठता कमांक.....
सम्प्रेक्षा संख्या.....द्वारा प्रतिवेदन वर्ष.....में दिनांक.....से.....तक की
कार्यावधि हेतु संतोषजनक सेवा अथवा अन्यथा सम्बन्धी सूचना निम्नवत है:-

- उक्त कार्मिक के सम्बन्ध में उपरोक्त अवधि में कोई विभागीय कार्यवाही, प्रतिकूल तथ्य अथवा अनियमितता आदि संज्ञानित नहीं है। (होने की दशा में साक्ष्य सहित विस्तृत आख्या संलग्न करें।)
- सम्बन्धित कार्मिक की सत्यनिष्ठा भी इंगित अवधि में नहीं रोकी गई है।
- इनके विरुद्ध उक्त अवधि में कोई विविध अग्रिम की वसूली से सम्बन्धित प्रत्याप्ति भी लम्बित नहीं है।

नोट:- संतोषजनक सेवा से इतर होने की दशा में स्पष्ट कारण का उल्लेख अवश्य किया जाये।

(सक्षम अधिकारी)


नाम...

अभिज्ञान/आडिट सं-

उपरोक्त प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने हेतु कार्मिकों के मामले में सक्षम अधिकारी निम्नवत् होंगे:-

1. टी0जी0-2, अवर अभियन्ता एवं समस्त तृतीय श्रेणी कार्मिक – अधिशासी अभियन्ता एवं समकक्ष अधिकारी
2. सहायक अभियन्ता एवं समकक्ष अधिकारी – अधिशासी अभियन्ता एवं समकक्ष अधिकारी।
3. अधिशासी अभियन्ता एवं समकक्ष अधिकारी – अधीक्षण अभियन्ता एवं समकक्ष अधिकारी।
4. अधीक्षण अभियन्ता एवं समकक्ष अधिकारी – मुख्य अभियन्ता एवं समकक्ष अधिकारी।
5. मुख्य अभियन्ता एवं समकक्ष अधिकारी – सम्बन्धित डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक।

भवदीय,


(ए0क0 पुरवार)


निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशासन)

संख्या-368-गोपन-06/पाकालि/2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निजी सचिव, अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2- निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3- निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 4- महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (औद्योगिक सम्बन्ध), उपपाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 5- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
- 6- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
- 7- उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
- 8- अधिशासी अभियन्ता वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 9- लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
- 10- कारपोरेशन मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण।

आज्ञा से,


(कैलाश चन्द्र जोशी)
अनुसचिव (गोपन)
10.2.2020